

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।

क्रमांक:प.2/लेखा-2/बजट/2021-22 /5972
समस्त उपनिदेशक,
आयुर्वेद विभाग

दिनांक: 20-4-21

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 अन्तर्गत किराये के वाहन हेतु स्वीकृति/बजट आवंटन बाबत।


उपरोक्त विषयान्तर्गत किराये के वाहन लिये जाने की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपको औषधालयो/चिकित्सालयो के निरीक्षण एवं प्रभावी मोनीटरिंग हेतु बजट मद 2210-02-101-08-01 उपमद 36-वाहन किराया प्रतिबद्ध के अन्तर्गत निम्नानुसार वाहन किराये पर लेने हेतु प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राज. जयपुर ने जारी की हैं। वाहन किराये पर रखने बाबत वांछित कार्यवाही यथा टेण्डर /अनुबंध वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ.2(4)एफ.डी./एसपीएफसी/2017 दिनांक 19.07.18 एवं 31.03.2021 में दिये गये निर्देशो एवं व्यवस्था के अनुसार अमल मे लायी जावे। अतः निदेशालय द्वारा आवंटित बजट सीमा मे ही राशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करें, किसी भी दशा में अतिरिक्त आवंटन नही किया जाएगा। उक्त आदेश जारी दिनांक से प्रभावी होंगे। जिसका बजट आवंटन विवरण निम्नानुसार हैं -

क्र.स.	आहरण वितरण अधिकारी का नाम	किराये पर वाहन लिये जाने की संख्या	राशि रु हजारों में
1.	2.	3.	4.
1.	उपनिदेशक अजमेर	1	100
2.	उपनिदेशक नागौर	1	100
3.	उपनिदेशक भीलवाडा	1	100
4.	उपनिदेशक टोंक	1	100
5.	उपनिदेशक जयपुर 'अ' क्षेत्र	1	100
6.	उपनिदेशक जयपुर 'ब' क्षेत्र	1	100
7.	उपनिदेशक अलवर	1	100
8.	उपनिदेशक भरतपुर	1	100
9.	उपनिदेशक धौलपुर	1	100
10.	उपनिदेशक दौसा	1	100
11.	उपनिदेशक झुन्झुनू	1	100
12.	उपनिदेशक सीकर	1	100
13.	उपनिदेशक जोधपुर	1	100
14.	उपनिदेशक बाडमेर	1	100
15.	उपनिदेशक जैसलमेर	1	100
16.	उपनिदेशक जालौर	1	100
17.	उपनिदेशक सिरोही	1	100
18.	उपनिदेशक पाली	1	100
19.	उपनिदेशक उदयपुर	1	100
20.	उपनिदेशक बांसवाडा	1	100

4/

क.स.	आहरण वितरण अधिकारी का नाम	किराये पर वाहन लिये जाने की संख्या	राशि रु हजारों में
21.	उपनिदेशक चित्तौड़गढ़	1	100
22.	उपनिदेशक डूंगरपुर	1	100
23.	उपनिदेशक राजसमन्द	1	100
24.	उपनिदेशक कोटा	1	100
25.	उपनिदेशक बून्दी	1	100
26.	उपनिदेशक झालावाड	1	100
27.	उपनिदेशक सवाई माधोपुर	1	100
28.	उपनिदेशक बांरा	1	100
29.	उपनिदेशक बीकानेर	1	100
30.	उपनिदेशक चुरू	1	100
31.	उपनिदेशक हनुमानगढ़	1	100
32.	उपनिदेशक श्रीगंगानगर	1	100
33.	उपनिदेशक प्रतापगढ़	1	100
34.	उपनिदेशक करौली	1	100


- निदेशालय द्वारा उपरोक्त राशि का आवंटन वित्त वर्ष 2021-22 के लिये किया जा रहा है। अतः आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं करे किसी भी दशा में अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जाएगा। अनावश्यक अतिरिक्त बजट आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करे।
- किराये के वाहन संबंधी कार्यवाही सा ले वि नियम एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत नियमानुसार की जावे।
- कार्यालय को वाहन की आवश्यकता नहीं होने पर कारण सहित तुरन्त निदेशालय को पत्र/दूरभाष द्वारा सूचित करें।


(सीमा शर्मा)
निदेशक

कमांक:प.2/लेखा-2/बजट/2021-22/5972
प्रतिलिपि:-

दिनांक: 26-4-21

1. प्रभारी कम्प्यूटर सैल को विभाग की वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।


लेखाधिकारी